

(पीत-पत्र के बदले)

श्री विनोदानन्द झा, अपर सचिव-सह-उप निदेशक,
श्री अरविन्द कुमार झा, संयुक्त सचिव-सह-सहायक निदेशक,
श्री के0डी0 प्रोज्जवल, उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

विभागीय कार्यालय आदेश सं0 553 सहपठित ज्ञापांक 5507 दिनांक 25.10.18 का कृपया स्मरण करें, जिसके द्वारा विभाग के अधीन योजनाओं यथा NULM, नम्रामि गंगे आदि के कार्यान्वयन तथा DEAS हेतु चयनित परामर्शी संस्था/एजेन्सी के साथ हुए एकरारनामा में कार्य सम्बन्धी वर्णित Terms of Reference, Scope of work एवं Deliverables के आलोक में चेकलिस्ट का प्रारूप तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया है। उक्त चेकलिस्ट के आधार पर ही आगे से उक्त चयनित परामर्शी संस्था/एजेन्सी द्वारा किये गये कार्य का आकलन कर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
2. अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपने प्रभार के योजना के सम्बन्ध में चेकलिस्ट का प्रारूप तैयार कर प्रधान सचिव के अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जाय।

26.10.18

(संजय कुमार)

विशेष सचिव-सह-निदेशक

80/55
न.सं.प.सं. 26.10.18
दिनांक.....

S.O. 4
G. R. K.

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

का०आ०सं०- 553 न०वि० एवं आ०वि०/पटना,

दिनांक- 25/10/18

DD/AD/DS

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन विभागीय योजनाओं यथा NULM, SBM, AMRUT, नमामि गंगे आदि के कार्यान्वयन तथा DEAS, Internal Audit हेतु परामर्शी संस्था/एजेंसी के माध्यम से PMC/PMU का गठन किया गया है। इन परामर्शी संस्थाओं/एजेंसियों के साथ विभाग द्वारा कार्य का एकरारनामा किया गया है। एकरारनामा में कार्य से संबंधित Terms of Reference, scope of work एवं Deliverables भी वर्णित है।

2. इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि इन परामर्शी संस्थाओं/एजेंसियों के साथ विभाग द्वारा किये गये एकरारनामा में कार्य संबंधी वर्णित Terms of Reference, scope of work एवं Deliverables के आलोक में संबंधित प्रभारी पदाधिकारी द्वारा चेकलिस्ट का तैयार किया जाएगा, जिसके द्वारा भुगतान के समय यह स्पष्ट हो सके कि उस समय तक एजेंसी को क्या-क्या कार्य करना था और उसमें क्या कार्य पूर्ण किया गया है।
3. इन परामर्शी संस्थाओं/एजेंसियों को कार्य के विरुद्ध भुगतान के लिए संचिका में प्रस्ताव उक्त चेकलिस्ट के साथ उपस्थापित की जाएगी।
4. यह चेकलिस्ट का प्रारूप एक सप्ताह के अंदर उपस्थापित किया जाय।
5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 5507 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक- 25/10/18

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय पदाधिकारी/मुख्य अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव